

आदेश2.12.17

प्रस्तुत वाद श्रीमती रामारानी राय पति-रतन चक्रवर्ती ग्राम-चाराडीह थाना-कोडरमा जिला-कोडरमा के आवेदन पर वाद की कार्रवाई दिनांक-24.01.2017 को प्रारम्भ किया गया है। वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करने के पश्चात् आवेदिका को अनेकों बार नोटिस देने के बाद भी लगातार अनुपस्थित है। इनके ओर से कोई समुचित पैरवी नहीं किया जा रहा है।

अतः वाद की कार्रवाई बिना कोई प्रभावी आदेश के समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
कोडरमा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
कोडरमा।